रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1—जून 7, 2013 (ज्येष्ठ 11, 1935)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1—JUNE 7, 2013 (JYAISTHA 11, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 5 अप्रैल 2013

एसबीडी क्र. 01/2013-14--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री के. गुरुराज आचार्य, नं. 14, गर्ल्स स्कूल स्ट्रीट, कुमार पार्क वेस्ट, शेषाद्रीपुरम्, बंगलौर-560020, को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 05 अप्रैल 2013 से 04 अप्रैल 2016 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2013

(चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स)

स. 1 सी.ए. (7)(147)/2013--चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में दि इंस्टीटयट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद्, केन्द्रीय भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 26 मार्च, 2013 से किशनगढ़, राजस्थान में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा केन्द्रीय भारत प्रादेशिक परिषद् की किशनगढ़ शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किशनगढ़ शहर के साथ-साथ किशनगढ़ की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आयेंगे :-

1. मदनगंज
2. नसीराबाद
3. पुष्कर
4. परबतसर
5. रूपनगढ़
6. दूदू

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय भारत प्रादेशिक

कुलपति की दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति के हेतु योग्यता

संविधि 2(4) का वर्तमान प्रावधान	संविधि 2(4) का संशोधित प्रावधान
नपति का कार्याकाल उसके कार्यालय ग्रहण करने के पाँच वर्ष तक अथवा 70 की आयु प्राप्ति पर जो पहले हो तक कार्यरत रहेंगे और वे पुनिर्नियुक्ति के ए योग्य नहीं होंगे ।	कुलपति का कार्यकाल कार्यालय ग्रहण करने के पश्चात् पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो भी पहले हो तक कार्यरत रहें गए तथा दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगें ।
र्ते कि पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद वे कार्यरत रहें गए, तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता और वह कार्यालय ण नहीं करते ।	बशर्ते कि पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति के बावजूद वे तबतक कार्यरत रहें गए जबतक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वे कार्यग्रहण नहीं करते ।
जेटर किसी भी कुलपति को उसकी कार्य अवधि समाप्ति पर, उस अवधि तक लिए जो एक वर्ष से अधिक न हो जैसा कि निर्देशित किया जाये, कुलपति को र्यरत रहने के लिए निर्देशित कर सकते है ।	विजिटर किसी भी कुलपति को उसकी कार्य अवधि समाप्ति पर, उस अवधि तक के लिए जबतक विजिटर किसी भी कुलपति को उस अवधि या एक वर्ष की अवधि तक जैसा कि निर्देशित किया जाये, कुलपति को कार्यरत रहने के लिये निर्देशित कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार
केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर

DRAFT AMENDMENT TO STATUTE 2 (4) OF THE CENTRAL UNIVERSITIES Act, 2009

Eligibility of Vice – Chancellor for re-appointment for another term

Existing Provision of Statute 2 (4)
The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and **he shall not be eligible for re-appointment**: Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office: Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

Amended Provision of Statute 2 (4)
The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and **he shall be eligible for re-appointment for second term**: Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office: Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

REGISTRAR
CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
No. 156] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/ VAISAKHA 4, 1939

कश्मीर केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर, 19 अप्रैल, 2017

सं. क. के. वि.वि./प्रशासन/फाइल.सं.385/14/3522.—यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 की धारा 27 तथा 28 (क्रमानुसार) के अंतर्गत कश्मीर केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के नियमों तथा कार्यकारिणी समीति (प्रथम अधिनियम के मामलों में), अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कश्मीर केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय के नियम10(5) तथा अध्यादेशों (अध्यादेश संख्या 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 तथा 29) के ढांचों में संशोधन किए हैं। जैसा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 43 के तहत दिया गया है। उपरोक्त कथित अधिनियम तथा अध्यादेश एतद भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम, 2009 के नियम 10 (5) का प्रस्तावित संशोधन

नियम 10(5) के वर्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद पढ़ने के लिए
कोर्ट की बैठक के लिए कोर्ट के ग्यारह सदस्य कोरम बनाएगे	(1). कोर्ट के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा : (क). कुलाधिपति , पदेन (ख). कुलपति, पदेन (ग). सम कुलपति, पदेन (घ). कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत दो सदस्य (ङ). कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत पाँच सदस्य, जो जन जीवन में प्रतिष्ठत हो या जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों या उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा आदि में प्रतिष्ठित सेवाएँ प्रदान की हो । (च). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा मनोनीत पाँच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/ प्रधानाचार्य हो । (छ). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा दो व्यक्ति मनोनीत जो विश्वविद्यालय या कॉलेजों के अध्ययन विभागों के प्रोफेसर हों ।

	(ज). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा मनोनीत प्रोफेसरों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के दो अध्यापक । (झ). क्रमावर्तन के आधार पर प्रत्येक ग्रुप ए और ग्रुप बी/सी गैर शिक्षण स्टाफ से कुलपति द्वारा मनोनीत दो कर्मचारी । (ञ). कुलपति, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पदेन (ट). कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, पदेन (ठ). कुलपति द्वारा मनोनीत उद्योग/ न्यायपालिका/सभ्य समाज से पाँच व्यक्ति । (ड). क्रमावर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत छात्र समुदाय से तीन कक्षा प्रतिनिधित्व (ढ). कुलसचिव – सदस्य सचिव (2). कोर्ट के आधे सदस्य कोरम बनाएगे । (3). पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक कार्य संभालेंगें

अध्यादेश 3

अध्ययन विद्यापीठों को विभागों का आबंटन

(केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम, 2009 के 15 (5) (क) के अन्तर्गत अनुबंधित)

(दिनांक 26-06-2010 को आयोजित कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित)

विद्यापीठ	विभाग
शिक्षा विद्यापीठ	1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग 4. इस तरह का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा ।
भाषा विद्यापीठ	1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषा-विज्ञान विभाग 9. विदेशी भाषा विभाग 10. इस तरह का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
समाज शास्त्र विद्यापीठ	1. अर्थशास्त्र विभाग 2. राजनीति एवं शासन विभाग 3. इतिहास विभाग 4. समाज कार्य विभाग 5. मानवशास्त्र विभाग 6. बोध अध्ययन विभाग

PROPOSED AMENDMENT TO STATUTE 10 (5) OF THE CENTRAL UNIVERSITIES ACT, 2009

Existing Provision of Statute 10 (5)	To read after amendment
Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.	(1) The Court shall consist of the following members, namely: (a) the Chancellor, ex-officio, (b) the Vice- Chancellor ex-officio, (c) the Pro Vice Chancellor, ex-officio, (d) two members of the Executive Council nominated by EC (e) Five persons nominated by the Visitor from amongst persons who are men of standing in public life or have special knowledge or practical experience in education or have rendered eminent services in the cause of education, social service etc. (f) Five persons being Deans/Heads/Co-ordinator/Principals of the constituent colleges of the University to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (g) two persons, being Professors from Departments of Studies or Colleges of the University, nominated by the Chancellor on rotation basis. (h) two persons from among teachers of the University, other than Professors, nominated by the Chancellor on rotation basis. (i) Two employees, one each from Group A & Group B/C non-teaching staff to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (j) Vice-Chancellor, Central University of Jammu, ex-officio. (k) Vice-Chancellor, University of Kashmir, ex-officio (l) Five persons from Industry/Judiciary/Civil society etc. to be nominated by the Chancellor (m) Three class representatives of the student community to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (n) Registrar – Member Secretary (2) One half of the members of the Court shall form the quorum (3) All members of the Court, other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. गैबैंपवि(नीप्र)252/सीजीएम(यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है :--

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक (नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

i. इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी-विदेशी निवेश (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 कहा जाएगा।

ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

iii. यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा।

2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति

i. यह निदेश सभी सीआईसी[1] (भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में) पर लागू होंगे, जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है।

ii. विदेशी वित्तीय[2] क्षेत्र में निवेश :

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अत: सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

---

[1]सीआईसी, 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि सं. 206/03.10.001/2010-11 के पैरा 2(बी) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियामक संरचना।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर

सांविधिक 11 संशोधन का प्रारूप

{केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 21(2) और 27(2)}

संघटन, पद की अवधि तथा कार्य परिषद का कोरम

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
11. कार्य परिषद की बैठक के लिए कार्य परिषद के सात सदस्यों का कोरम हो गा। परन्तु संक्रमणकालीन अधिनियम के धारा 44 के अंतर्गत कार्य परिषद की बैठक के लिये पाँच सदस्यों को कोरम माना जायेगा ।	11(1). कार्यकारी परिषद में निम्न सदस्य होंगे : (i). कुलपति (ii). सम कुलपति (iii). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव या उसका/उसकी नामांकित व (iv). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष या उसक /उसकी नामांकित व्यक्ति। (v). उच्च शिक्षा विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार के आयुक्त सचिव। (vi). कुलपति द्वारा वरिष्ठता तथा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित अध्ययन के स्कूलों के संकायाध्यक्ष। (vii). कुलपति द्वारा वरिष्ठता तथा चक्रानुक्रम के आधार पर एक प्रोफेसर जो संकायाध्यक्ष न हो। (viii). कुलपति द्वारा नामांकित घटक महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक। (ix). विजिटर द्वारा नामांकित न्यायालय में से दो सदस्य जिन मे कोई विश्वविद्यालय का कर्मचारी या छात्र न हो या किसी मान्य संस्थान में या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संस्थान के साथ जुडा न हो। (x). विजिटर द्वारा नामांकित दो व्यक्ति जो शैक्षण तथा सामाजिक जीवन में विशिष्ट स्थान रखते हों। (2) पदेन सदस्य को छोडकर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे । (3). बैठक के लिए विश्वविद्यालय के बाहर के दो सदस्यों को जोडकर कार्य परिषद के सभी सदस्यों में आर्ध मानी जायेगी।

केन्द्रीय विश्ववि

संघटन, पद की अवधि तथा कार्य परिषद का कोरम

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
क्षणिक परिषद की बैठक के लिए शैक्षणिक परिषद सदस्यों का कोरम होगा।	13.(1) शैक्षणिक परिषद में निम्न सदस्य होंगे : (i). कुलपति (ii). सम कुलपति (iii). अध्ययन स्कूल के संकायाध्यक्ष (iv). अध्यक्ष/ अध्ययन विभागों / केन्द्रों के निदेशक (v). वरिष्ठता और चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के तीन प्रधानाचार्य (vi). दो प्रोफेसर (अध्ययन स्कूलों संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों के अध्यक्षों को छोडकर) जिसमें विभिन्न स्कूलों को प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया हो। (vii). कुलपति द्वारा वरिष्ठता तथा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित एक सह प्रोफेसर जो विभागाध्यक्ष न हो। (viii). कुलपति द्वारा वरिष्ठता तथा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित दो सहायक प्रोफेसर (ix). पुस्तकालयाध्यक्ष (x). शैक्षणिक परिषद द्वारा सहयोजित पाँच ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं है तथा भिन्न विषयों मे विशेष ज्ञान रखते हैं। (xi). संकायाध्यक्ष छात्र कल्यान (xii). छात्र परिषद के एक प्रतिनिधि सहयोजित सदस्य के रूप में (2). पदेन सदस्य को छोडकर शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे । (3). बैठक के लिए विश्वविद्यालय से बाहर के दो सदस्यों को जोडकर शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों में आधी संख्या कोरम मानी जोयेगी।

अब्दुल गानी
कुलसचिव
केन्द्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर

DRAFT AMENDMENT TO STATUTE 13

{ As per Section 22(2) & 27 (2) of the Central Universities Act, 2009}

COMPOSITION, TERM OF OFFICE & QUORUM OF ACADEMIC COUNCIL

Existing Provision	Amended Provision
ers of the Academic Council shall for a meeting of the Academic	13. (1) The Academic Council shall consist of the following members: i. The Vice-Chancellor. ii. The Pro-Vice-Chancellor. iii. Deans of Schools of Studies. iv. Heads/Directors of teaching Departments /Centres. v. Three Principals of the Constituent Colleges of the University on the basis of seniority and rotation to be nominated by Vice Chancellor. vi. Two Professors (excluding those who are Deans of Schools of Studies & Heads of the Departments / Centres) on the basis of seniority and rotation to be nominated by Vice Chancellor giving due regard to representation of different Schools. vii. One Associate Professor who is not Head of Teaching Department by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor. viii. Two Assistant Professors by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor. ix. Librarian. x. Five persons not in the service of the University co-opted by the Academic Council for their special knowledge in different disciplines. xi. Dean Students Welfare xii. One representative of Students Council as co-opted member. (2) All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years. (3) One half of the total members of the AC with at-least two members from outside the University shall form the quorum for the meeting.

ABDUL GANI
Registrar

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIT

DRAFT AMENDMENT TO STATUTE 11

{ Section 21(2) & 27 (2) of the Central Universities Act, 2009}

COMPOSITION, TERM OF OFFICE & QUORUM OF EXECUTIVE COUNCIL

ting Provision	Amended Provision
nbers of the Executive)rm quorum for a meeting e Council. for a meeting of the first ncil constituted under the vision of Section 44 of the ers shall form a quorum.	11 (1) The Executive Council shall consist of the following members: (i) Vice-Chancellor; (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) Secretary, Dept. of Higher Education, MHRD, GoI or his/her nominee; (iv) Chairman, UGC or his/her nominee; (v) Commissioner Secretary, Department of Higher Education, J&K Govt ; (vi) Three members from among Deans of Schools of Studies, by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor; (vii) One Professor who is not a Dean by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor; (viii) One Principal of the Constituent College of the University according to seniority , to be nominated by the Vice-Chancellor; (ix) Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor; and (x) Three persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Visitor. (2) All the members of the Executive Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years. (3) One half of the total members of the EC with at-least two members from outside the University shall form the quorum for the meeting.

ABDUL GANI
Registrar

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2018/चैत्र 19, 1940
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2018/CHAITRA 19, 1940

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

श्रीनगर, 4 अप्रैल, 2018

40वें अधिनियम का संशोधित प्रारूप

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 (के) को धारा 27(2) सहित पढ़ा जाए]

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन के उपरान्त पढ़ने हेतु
अध्ययन स्कूलों एवं विभागों की स्थापना से सम्बंधित : **विद्या स्कूल** 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा **भाषा स्कूल** 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग		अध्ययन स्कूलों एवं विभागों की स्थापना से सम्बंधित : **विद्या स्कूल** 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग **भाषा स्कूल** 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग

6. संस्कृत विभाग		6. संस्कृत विभाग
7. पंजाबी विभाग		7. पंजाबी विभाग
8. भाषाविज्ञान विभाग		8. भाषाविज्ञान विभाग
9. विदेशी भाषा विभाग		9. विदेशी भाषा विभाग
सामाजिक विज्ञान स्कूल		**सामाजिक विज्ञान स्कूल**
1. अर्थशास्त्र विभाग		1. अर्थशास्त्र विभाग
2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग		2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग
3. इतिहास विभाग		3. इतिहास विभाग
4. सामाजिक कार्य विभाग		4. सामाजिक कार्य विभाग
5. मानवशास्त्र विभाग		5. मानवशास्त्र विभाग
6. बौध्द अध्ययन विभाग		6. बौध्द अध्ययन विभाग
7. धार्मिक अध्ययन विभाग		7. धार्मिक अध्ययन विभाग
भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान स्कूल		**भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान स्कूल**
1. भौतिकी विभाग		1. भौतिकी विभाग
2. रसायन विज्ञान विभाग		2. रसायन विज्ञान विभाग
3. गणित विभाग		3. गणित विभाग
4. नैनोसाइंस विभाग		4. नैनोसाइंस विभाग
जीवन विज्ञान स्कूल		**जीवन विज्ञान स्कूल**
1. वनस्पति विज्ञान विभाग		1. वनस्पति विज्ञान विभाग
2. पशु विज्ञान विभाग		2. पशु विज्ञान विभाग
3. जीव प्रौद्यौगिकी विभाग		3. जीव प्रौद्यौगिकी विभाग
4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग		4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
पर्यावरण विज्ञान स्कूल		**पर्यावरण विज्ञान स्कूल**
1. पर्यावरण विज्ञान विभाग		**1.** पर्यावरण विज्ञान विभाग
व्यापार अध्ययन स्कूल		**व्यापार अध्ययन स्कूल**
1. प्रबंधन अध्ययन विभाग		1. प्रबंधन अध्ययन विभाग
2. वाणिज्य विभाग		2. वाणिज्य विभाग
3. पर्यटन अध्ययन विभाग		3. पर्यटन अध्ययन विभाग
विधि अध्ययन स्कूल		**विधि अध्ययन स्कूल**
1. विधि विभाग		1. विधि विभाग
मीडिया अध्ययन स्कूल		**मीडिया अध्ययन स्कूल**
1. संसृत पत्रकारिता विभाग		**1.** संसृत पत्रकारिता विभाग
प्रदर्शन कला स्कूल		**प्रदर्शन कला स्कूल**
1. संगीत तथा ललित कला विभाग		1. संगीत तथा ललित कला विभाग

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग **चिकित्सा विज्ञान स्कूल** 1. औषधि विभाग 2. दंत चिकित्सा विभाग 3. औषधालय विभाग 4. भौतिक चिकित्सा विभाग 5. उपचार विभाग 6. मानव अनुवांशिकी विभाग 7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग और इस प्रकार के अन्य स्कूलों / विभाग समय-समय पर स्थापित किये जा सकते है ।	निम्न विभागों को अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल के तहत जोड़ा जाएगा : 2. नागरिक अभियांत्रिकी विभाग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी विभाग 4. संगणक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग 5. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 6. वास्तु – कला विभाग	**अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल** 1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2. नागरिक अभियांत्रिकी विभाग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी विभाग 4. संगणक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग 5. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 6. वास्तु – कला विभाग **चिकित्सा विज्ञान स्कूल** 1. औषधि विभाग 2. दंत चिकित्सा विभाग 3. औषधालय विभाग 4. भौतिक चिकित्सा विभाग 5. उपचार विभाग 6. मानव अनुवांशिकी विभाग 7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग और इस प्रकार के अन्य स्कूलों / विभाग समय-समय पर स्थापित किये जा सकते है ।

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 26(ए) के अंतर्गत तैयार की गई धारा को 27(2) धारा के साथ पढ़ा जाए]

<u>विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के वर्तमान अधिनियमों में 41वें अधिनियम की वृध्दि</u>

(1) विश्वविद्यालय में एक योजना एवं जांच बोर्ड होना चाहिए जो विश्वविद्यालय की योजना एवं विकास की गतिविधियों पर व्यापक रूप से सुझाव प्रस्तुत करने के साथ साथ विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं भौतिक विकास के मानकों की निगरानी भी करेगा ।

(2) योजना एवं जांच बोर्ड में सम्मिलित होंगे :

क) कुलपति, अध्यक्ष के रूप में

ख) कुलपति द्वारा मनोनीत स्कूल का एक संकायाध्यक्ष

ग) कुलपति द्वारा मनोनीत एक विभागाध्यक्ष / समन्वयक

ड़) कुलपति द्वारा मनोनीत एक प्राध्यापक

च) कुलपति द्वारा नामांकित / मनोनीत, छह विशेषज्ञ जो उच्च शिक्षा/ अभियांत्रिकी/ नागरिक प्रशासन में अपने विशेष ज्ञान / विशेष रूचि के लिए जाने जाते है ।

छ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव

ज) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी

झ) योजना एवं विकास अधिकारी के रूप में कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति, सदस्य सचिव भी होंगे ।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा वह पुनः नामित होने के पात्र भी होंगे ।

(4) पी एम बी के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

प्रो. मुहम्मद अफ़ज़ल ज़रगर, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./20/18]

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR

NOTIFICATION

Srinagar, the 4th April, 2018

DRAFT AMENDMENT TO STATUTE 40

[Section 26(k) read with Section 27(2) of the Central Universities Act, 2009]

Existing Provision	Proposed Amendment	To read after amendment
Establishment of Schools of Studies and the Departments related thereto:		**Establishment of Schools of Studies and the Departments related thereto:**
School of Education		**School of Education**
1. Department of Education		1. Department of Education
2. Department of Physical Education		2. Department of Physical Education
3. Department of Special Education		3. Department of Special Education
School of Languages		**School of Languages**
1. Department of English		1. Department of English
2. Department of Urdu		2. Department of Urdu
3. Department of Hindi		3. Department of Hindi
4. Department of Kashmiri		4. Department of Kashmiri
5. Department of Arabic		5. Department of Arabic
6. Department of Sanskrit		6. Department of Sanskrit
7. Department of Punjabi		7. Department of Punjabi
8. Department of Linguistics		8. Department of Linguistics
9. Department of Foreign Languages		9. Department of Foreign Languages
School of Social Sciences		**School of Social Sciences**
1. Department of Economics		1. Department of Economics
2. Department of Politics and Governance		2. Department of Politics and Governance
3. Department of History		3. Department of History
4. Department of Social Work		4. Department of Social Work
5. Department of Anthropology		5. Department of Anthropology
6. Department of Buddhist Studies		6. Department of Buddhist Studies
7. Department of Religious Studies		7. Department of Religious Studies
School of Physical & Chemical Sciences		**School of Physical & Chemical Sciences**
1. Department of Physics		1. Department of Physics
2. Department of Chemistry		2. Department of Chemistry
3. Department of Mathematics		3. Department of Mathematics
4. Department of Nanoscience		4. Department of Nanoscience
School of Life Sciences		**School of Life Sciences**
1. Department of Plant Sciences		1. Department of Plant Sciences

2. Department of Animal Sciences 3. Department of Biotechnology 4. Department of Microbiology **School of Environmental Sciences** 1. Department of Environmental Sciences **School of Business Studies** 1. Department of Management Studies 2. Department of Commerce 3. Department of Tourism Studies **School of Legal Studies** 1. Department of Law **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts **School of Engineering & Technology** 1. Department of Information Technology **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing 6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology and any such other Schools/ Departments as may be established from time to time.	To add following departments under School of Engineering & Technology: 2. Department of Civil Engineering 3. Department of Electronics and Communication Engineering 4. Department of Computer Science and Engineering 5. Department of Electrical Engineering **6.** Department of Architecture	2. Department of Animal Sciences 3. Department of Biotechnology 4. Department of Microbiology **School of Environmental Sciences** 1. Department of Environmental Sciences **School of Business Studies** 1. Department of Management Studies 2. Department of Commerce 3. Department of Tourism Studies **School of Legal Studies** 1. Department of Law **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts **School of Engineering & Technology** 1. Department of Information Technology 2. Department of Civil Engineering 3. Department of Electronics and Communication Engineering 4. Department of Computer Science and Engineering 5. Department of Electrical Engineering 6. Department of Architecture **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing 6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology and any such other Schools/ Departments as may be established from time to time.

[*Framed under Section 26(a) read with Section 27(2) of the Central Universities Act, 2009*]

Addition of **Statute 41** to the existing Statutes of the Central Universities Act, 2009.

(1) There shall be a Planning & Monitoring Board (PMB) of the University which shall advise generally on the planning and development activities of the University and monitor the standard of academic and physical development of the University.

(2) The Planning & Monitoring Board shall comprise of:

a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman
b) One Dean of the School to be nominated by the Vice-Chancellor
c) One Head/Coordinator to be nominated by the Vice-Chancellor
d) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor
e) Six experts, known for their expertise/special interest in higher education/engineering/civil administration, to be nominated by the Vice-Chancellor
f) The Registrar of the University
g) The Finance Officer of the University
h) The person designated by the Vice-Chancellor as the Planning & Development Officer shall be the Member Secretary.

(3) The term of office of the members other than the ex-officio members, shall be three years and they shall be eligible for re-nomination.

(4) The powers and functions of the PMB shall be as such as may be prescribed by the University.

Prof. M. AFZAL ZARGAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./20/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2015/ज्येष्ठ 22, 1937
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2015/JYAISTHA 22, 1937

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविधालय

अधिसूचना

श्रीनगर, 26 मई, 2015

सं. सीयू/कश्मीर/प्रशा./फा. सं. 385/14/2552.—केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 की संविधि 40 का संशोधन

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
अध्ययन केन्द्रों एवं विभागों की स्थापना से सम्बंधित :	अध्ययन केन्द्रों एवं विभागों की स्थापना से सम्बंधित :
विद्या केन्द्र 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग	**विद्या केन्द्र** 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग
भाषिक विद्या केन्द्र 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषाविज्ञान विभाग	**भाषिक विद्या केन्द्र** 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषाविज्ञान विभाग

सामाजिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. अर्थशास्त्र विभाग
2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग
3. इतिहास विभाग
4. सामाजिक कार्य विभाग
5. मानवशास्त्र विभाग
6. बौद्ध अध्ययन विभाग

भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. भौतिकी विभाग
2. रसायन विज्ञान विभाग
3. गणित विभाग
4. नैनोसाइंस विभाग

जीवन विज्ञान विद्या केन्द्र

1. वनस्पति विज्ञान विभाग
2. पशु विज्ञान विभाग
3. जीव प्रौद्योगिकी विभाग
4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

पर्यावरण विज्ञान विद्या केन्द्र

1. पर्यावरण विज्ञान विभाग

व्यापार अध्ययन विद्या केन्द्र

1. प्रबंधन अध्ययन विभाग
2. वाणिज्य विभाग
3. पर्यटन अध्ययन विभाग

कानून विद्या केन्द्र

1. विधि विभाग

मीडिया अध्ययन विद्या केन्द्र

1. संसृत पत्रकारिता विभाग

प्रदर्शन कला विद्या केन्द्र

1. संगीत तथा ललित कला विभाग

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्या केन्द्र

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

चिकित्सा विज्ञान विद्या केन्द्र

1. औषधि विभाग
2. दंत चिकित्सा विभाग
3. औषधालय विभाग
4. भौतिक चिकित्या विभाग
5. उपचार विभाग

सामाजिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. अर्थशास्त्र विभाग
2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग
3. इतिहास विभाग
4. सामाजिक कार्य विभाग
5. मानवशास्त्र विभाग
6. बौद्ध अध्ययन विभाग
7. धार्मिक अध्ययन विभाग

भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. भौतिकी विभाग
2. रसायन विज्ञान विभाग
3. गणित विभाग
4. नैनोसाइंस विभाग

जीवन विज्ञान विद्या केन्द्र

1. वनस्पति विज्ञान विभाग
2. पशु विज्ञान विभाग
3. जीव प्रौद्योगिकी विभाग
4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

पर्यावरण विज्ञान विद्या केन्द्र

1. पर्यावरण विज्ञान विभाग

व्यापार अध्ययन विद्या केन्द्र

1. प्रबंधन अध्ययन विभाग
2. वाणिज्य विभाग
3. पर्यटन अध्ययन विभाग

कानून विद्या केन्द्र

1. विधि विभाग

मीडिया अध्ययन विद्या केन्द्र

1. संसृत पत्रकारिता विभाग

प्रदर्शन कला विद्या केन्द्र

1. संगीत तथा ललित कला विभाग

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्या केन्द्र

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

चिकित्सा विज्ञान विद्या केन्द्र

1. औषधि विभाग
2. दंत चिकित्सा विभाग
3. औषधालय विभाग
4. भौतिक चिकित्या विभाग
5. उपचार विभाग

7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग और इस प्रकार के अन्य विद्या केन्द्र / विभाग समय-समय पर स्थापित किये जा सकते हैं ।	7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग और इस प्रकार के अन्य विद्या केन्द्र / विभाग समय-समय पर स्थापित किये जा सकते हैं ।

प्रो. मेहराज उद्दीन मीर, कुलपति

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 340–यू / 15 / 96]

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR

NOTIFICATION

Srinagar, 26th May, 2015

No. CU/Kmr/Admin/F. No. 385/14/2552.—Draft Mendment to Statute 40

[Section 26(K) read with Section 27(2) of the Central Universities Act, 2009]

Existing Provision	To read after amendment
Establishment of Schools of Studies and the Departments related thereto:	**Establishment of Schools of Studies and the Departments related thereto:**
School of Education	**School of Education**
1. Department of Education	1. Department of Education
2. Department of Physical Education	2. Department of Physical Education
3. Department of Special Education	3. Department of Special Education
School of Languages	**School of Languages**
1. Department of English	1. Department of English
2. Department of Urdu	2. Department of Urdu
3. Department of Hindi	3. Department of Hindi
4. Department of Kashmiri	4. Department of Kashmiri
5. Department of Arabic	5. Department of Arabic
6. Department of Sanskrit	6. Department of Sanskrit
7. Department of Punjabi	7. Department of Punjabi
8. Department of Linguistics	8. Department of Linguistics
9. Department of Foreign Languages	9. Department of Foreign Languages
School of Social Sciences	**School of Social Sciences**
1. Department of Economics	1. Department of Economics
2. Department of Politics and Governance	2. Department of Politics and Governance
3. Department of History	3. Department of History
4. Department of Social Work	4. Department of Social Work
5. Department of Anthropology	5. Department of Anthropology
6. Department of Buddhist Studies	6. Department of Buddhist Studies
	7. **Department of Religious Studies**
School of Physical & Chemical Sciences	**School of Physical & Chemical Sciences**
1. Department of Physics	1. Department of Physics
2. Department of Chemistry	2. Department of Chemistry
3. Department of Mathematics	3. Department of Mathematics
4. Department of Nanoscience	4. Department of Nanoscience
School of Life Sciences	**School of Life Sciences**
1. Department of Plant Sciences	1. Department of Plant Sciences
2. Department of Animal Sciences	2. Department of Animal Sciences
3. Department of Biotechnology	3. Department of Biotechnology
4. Department of Microbiology	4. Department of Microbiology
School of Environmental Sciences	**School of Environmental Sciences**
1. Department of Environmental Sciences	1. Department of Environmental Sciences
School of Business Studies	**School of Business Studies**
1. Department of Management Studies	1. Department of Management Studies
2. Department of Commerce	2. Department of Commerce
3. Department of Tourism Studies	3. Department of Tourism Studies

School of Legal Studies 1. Department of Law **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts **School of Engineering & Technology** 1. Department of Information Technology **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing 6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology and any such other Schools/ Departments as may be established from time to time.	**School of Legal Studies** 1. Department of Law **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts **School of Engineering & Technology** 1. Department of Information Technology **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing 6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology and any such other Schools/ Departments as may be established from time to time.

Prof. MEHRAJ UDDIN MIR, Vice-Chancellor (I/C)

[ADVT. III/4/Exty./340-U/15/96]

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25—जुलाई 1, 2011 (आषाढ़ 4, 1933)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25—JULY 1, 2011 (ASADHA 4, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 9 मई 2011

संदर्भ : बैपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 91/12.02.001/2010-11--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 08 सितम्बर 2009 की अधिसूचना संदर्भ बैंपविवि. सं. आरईटी.बीसी. 40/12.02.001/2009-10 तथा 27 जुलाई 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 28/12.02. 001/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारत में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आस्तियां रखना जारी रखेगा जिनका मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गयी मूल्यांकन विधि के अनुसार किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24 प्रतिशत से कम नहीं होगा जैसाकि 16 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 66/12.02.001/2010-11 द्वारा निर्धारित किया गया है :--

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण जिसका मूल्य चालू बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा

(ग) निम्नलिखित लिखितों में निवेश जिन्हें ''सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां'' कहा जाएगा :--

अध्यादेश–40

अध्ययन केन्द्र एवं विभागों की स्थापना से संबंधित

केन्द्रीय विश्विद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 26 (k) धारा 27(2) व अध्यादेश 15(1)

विद्या केन्द्र

1. शिक्षा विभाग.
2. शारीरिक शिक्षा विभाग.
3. विशेष शिक्षा विभाग.

भाषिक विद्याकेन्द्र

1. अंग्रेजी विभाग.
2. उर्दू विभाग.
3. हिन्दी विभाग.
4. कश्मीरी विभाग.
5. अरबी विभाग.
6. संस्कृत विभाग.
7. पंजाबी विभाग.
8. भाषाविज्ञान विभाग.
9. विदेशी भाषा विभाग.

सामाजिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. अर्थशास्त्र विभाग.
2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग
3. इतिहास विभाग.
4. सामाजिक कार्य विभाग
5. मानवशास्त्र विभाग
6. बुद्विस्ट विभाग

भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान विद्या केन्द्र

1. भौतिकी विभाग.
2. रसायन विज्ञान विभाग.
3. गणित विभाग.
4. नैनोसाइंस विभाग

जीवन विज्ञान विद्या केन्द्र

1. वनस्पति विज्ञान
2. पशु विज्ञान विभाग.
3. जीव प्रौद्यौगिकी विभाग
4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग.

पर्यावरण विज्ञान विद्या केन्द्र

1. पर्यावरण विज्ञान विभाग.

व्यापार अध्ययन केन्द्र

1. प्रबंधन अध्ययन विभाग.
2. वाणिज्य विभाग.
3. पर्यटन अध्ययन विभाग

कानून विद्या केन्द्र

1. विधि विभाग.

मीडिया अध्ययन विद्या केन्द्र

1. अभिसारी पत्रकारिता विभाग

परफोर्मिंग आर्ट्स विद्या केन्द्र

1. संगीत तथा ललित कला विभाग

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विद्या केन्द्र

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.

चिकित्सा विज्ञान विद्या केन्द्र

1. औषधि विभाग
2. दंत चिकित्सा विभाग
3. औषधालय विभाग
4. भौतिक चिकित्सा विभाग.
5. उपचार विभाग
6. ह्यूमन जेनोटिक्स विभाग.
7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग.

इनके अतिरिक्त और भी विद्या केन्द्र / विभाग समय–समय पर स्थापित किये जा सकते है।

STATUTE 40

Establishment of Schools of Studies and the Departments related thereto

(Framed under Section 26(k) read with Section 27(2) and Statute 15(1) of the Central Universities Act, 2009)

School of Education

1. Department of Education
2. Department of Physical Education
3. Department of Special Education

School of Languages

1. Department of English
2. Department of Urdu
3. Department of Hindi
4. Department of Kashmiri
5. Department of Arabic
6. Department of Sanskrit
7. Department of Punjabi
8. Department of Linguistics
9. Department of Foreign Languages

School of Social Sciences

1. Department of Economics
2. Department of Politics and Governance
3. Department of History
4. Department of Social Work
5. Department of Anthropology
6. Department of Buddhist Studies

School of Physical & Chemical Sciences

1. Department of Physics
2. Department of Chemistry
3. Department of Mathematics
4. Department of Nanoscience

School of Life Sciences

1. Department of Plant Sciences
2. Department of Animal Sciences
3. Department of Biotechnology
4. Department of Microbiology

School of Environmental Sciences

1. Department of Environmental Sciences

School of Business Studies

1. Department of Management Studies
2. Department of Commerce
3. Department of Tourism Studies

School of Legal Studies

1. Department of Law

School of Media Studies

1. Department of Convergent Journalism

School of Performing Arts

1. Department of Music and Fine Arts

School of Engineering & Technology

1. Department of Information Technology

School of Medical Sciences

1. Department of Medicine
2. Department of Dentistry
3. Department of Pharmacy
4. Department of Physiotherapy
5. Department of Nursing
6. Department of Human Genetics
7. Department of Medical Technology

and any such other Schools/ Departments as may be established from time to time.

Visitor's approval communicated vide Letter no. F. 42-26/2009 Desk- (U) dated 27.12.2010 from the Department of Higher Education, Ministry of Human resource Development, Government of India

Sd/- ELLIGIBLE
Registrar
Central University of Kashmir